कार्यालयः- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।

(शाखा- साक्षरता)

पत्रांक................/

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

मधेपुरा।

सेवा में,

संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य-सह-अध्यक्ष,

संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक-सह-सदस्य-सह-संयोजक,

शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) चयन समिति,

जिला- मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक-........................

विषय- शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक(तालीमी मरकज) के चयन हेतु नौ सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में।

प्रसंगः- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक13/वि0 03-01 2016-327 दिनांक- 11.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगाधीन पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी महोदय, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक- 17.05.2025 को सम्पन्न कमिटि की बैठक में शिक्षा सेवकों के चयन के लिए रिक्त पदों की प्रस्तावित सूची सर्व सम्मति से अनुमोदनोपरान्त इस पत्र के साथ संलग्न वर्क कैलेण्डर एवं रिक्ति के अनुसार जिले में शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक(तालीमी मरकज) का चयन किया जाना है। उक्त चयन से पूर्व शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक(तालीमी मरकज) के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका 2018 में निहित प्रावधान के अनुसार निर्वाचित वार्ड सदस्य-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया जाना है, जिसका स्वरूप निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	पद	ग्रामीण क्षेत्र	संख्या
1	अध्यक्ष	संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य	01
2	सदस्य -सह-संयोजक	संबंधित वार्ड के पोषक विद्यालय या टोला से निकटत्तम विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक (एक से अधिक विद्यालय होने के स्थिति में वरीय प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक)	01

Scanned with OKEN Scanner

3	चार स्थानीय सदस्य	जिस टोले में चयन होना है वहाँ के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में टोले की आम सभा में संबंधित समुदाय (महादलित/दलित/अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग) के चयनित चार सदस्य जिनमें से दो महिला अनिवार्य रूप से सदस्य के रूप में रहेंगी।	04 (02 महिला अनिवार्य)
4	सदस्य	संबंधित पंचायत के निर्वाचित अनुसूचित जाति महिला सदस्य	01
5	सदस्य	चयनित होने वाले टोले की जीविका दीदी (यदि चयन होने वाले वार्ड में जीविका दीदी नही है तो ऐसी स्थिति में प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका द्वारा उसी पंचायत से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनित किया जाएगा। पंचायत स्तर पर जीविका दीदी उपलब्ध नहीं रहने पर प्रखण्ड से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनित किया जायेगा)	01
6	सदस्य	संबंधित प्रखण्ड के के0आर0पी0	01
		कुल संख्या-	09

अतः निदेश दिया जाता है कि संलग्न वर्क कैलेण्डर के अनुसार दिनांक-04.06.2025 तक शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक(तालीमी मरकज) के चयन/ नियोजन के निमित्त समिति का गठन कर दिनांक-05.06.2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक अचूक रूप से उक्त समिति गठन के संबंधित प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) कार्यालय मधेपुरा में उपलब्ध कराया जाय, ताकि शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के चयन/नियोजन की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ की जा सकें।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-93/मधेपुरा, दिनांक 31/05/2025

प्रतिलिपि- सभी प्रखंड के के0आर0पी0/प्रभारी के0आर0पी0/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त, मधेपुरा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- विशेष सचिव-सह-निदेशक, जन शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

Scanned with OKEN Scanner

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु वर्क कैलेन्डर

क्र0 सं0	कार्य	कार्य विवरणी	तिथि	जिम्मेवारी
1	समिति गठन	संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता मे नियोजन हेतु समिति का गठन .	04 जून 2025 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
2	विज्ञापन	नियोजन हेतु एन0आई0सी0 के वेबसाईट तथा प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस/ सूचना के द्वारा प्रकाशन	08 जून 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता मधेपुरा एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
3	आवेदन प्राप्त करना	समिति के सदस्य-सह-संयोजक(चिन्हित् विद्यालय के प्रधानाध्यापक) के द्वारा नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करना, तिथिवार पंजी में सांधारण एवं आवेदक को प्राप्ति रसीद देना।	23 जून 2025 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
4	मेधा अंक की गणना	नियोजन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के मेधा अंक की गणना कर जिला के वेबसाईट, प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित करना।	26 जून 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा, सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
5	आपत्ति आमंत्रण	मेधा सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एक सप्ताह के अन्दर आपत्ति प्राप्त करना, आपत्तिकर्त्ता को प्राप्ति रसीद देना तथा आपत्ति का तिथिवार पंजी में संधारण।	03 जुलाई 2025 तक	चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
6	आपत्ति निराकरण	आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिन से तीन दिनों के भीतर आपत्ति का निराकरण एवं इससे संबंधित अभिलेख का सांधारण।	08 जुलाई 2025 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक

Scanned with OKEN Scanner

7	अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन	समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची तैयार कर जिला के वेबसाईट/जिला कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन।	13 जुलाई 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
8	मेधा सूची का अनुमोदन	मेधा सूची का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, द्वारा 15 दिनों के अन्दर अनुमोदन कर नियोजन पत्र संबंधित नियोजन ईकाई के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना।	18 जुलाई 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा।
9	प्रशिक्षण हेतु नवचयनित शिक्षा सेवकों की सूची का प्रेषण।	नवचयनित शिक्षा सेवक/ शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की सूची पाँच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जन शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना।	23 जुलाई 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा।
10	प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र वितरण	चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक(तालीमी मरकज) का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण के उपरान्त नियोजन पत्र का वितरण।	30 जुलाई 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा।

31/05/2025

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, मधेपुरा।

31/5/25

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018

जन शिक्षा निदेशालय

तृतीय मंजिल, कमरा सं0--351, विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018

1. **प्रस्तावना :–**

(i) मानव के संतुलित शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा हमें हर प्रकार के बंधनों–गरीबी, बीमारी, कुरीतियों, शोषण, उत्पीड़न, भेद–भाव आदि से आजादी दिलाती है। अच्छी शिक्षा पाकर हम बंधनों से बाहर निकल कर अपने को सशक्त बनाते हैं और योग्य नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं।

(ii) 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.82 % है और महिलाओं में 53.53 % मात्र। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास से नामांकन 99% तक पहुँच गया है, परन्तु आठवीं कक्षा तक पहुँचते–पहुँचते बड़ी संख्या में बच्चों का छीजन (Drop out) हो जाता है। **वर्ष 2009 में बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम** (Right to Free and Compulsory Education Act. 2009) लागू हुआ। इसी क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा **अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011** बनायी गई। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना हमारा दायित्व है। साक्षरता और शिक्षा में पिछड़ेपन के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय एवं वर्ग में शिक्षा और साक्षरता बिहार के लिए चुनौती है।

(iii) शिक्षा में कमी, जनसंख्या वृद्धि, बाल–विवाह, कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारणों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिस घर में माता शिक्षित हैं वहाँ पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। वहाँ बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में बेहतर उपलब्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए संबंधित समुदाय के विकास के लिए माताओं का कार्यात्मक रूप से साक्षर होना आवश्यक है।

(iv) हमारे समाज में बाल–विवाह, दहेज प्रथा, विभिन्न प्रकार के नशे का सेवन, महिलाओं के प्रति गैर–बराबरी का दृष्टिकोण एवं सामाजिक तथा आर्थिक आधार पर शोषण या भेद–भाव जैसी अनेक सामाजिक बुराइयाँ व्याप्त हैं। इन सब को दूर कर ही हम एक विकसित, सुशिक्षित, ज्ञानमूलक एवं समता–मूलक समाज बना सकते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

(v) उपर्युक्त पृष्ठभूमि में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना का आरंभ 2012–13 में किया गया। इस योजना से अपेक्षा है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग में साक्षरता (विशेषकर महिला साक्षरता) में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और इस वर्ग एवं समुदाय के बच्चे गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में सफल होंगे। यह योजना इन समुदायों एवं वर्गों की महिलाओं और बच्चों को साक्षर और शिक्षित करते हुए उन्हें मुख्यधारा में शामिल कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा करेगी। यह योजना महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उत्थान एवं उत्प्रेरण का कार्यक्रम है।

2. टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का कार्य एवं दायित्व :–

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग में साक्षरता, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिये टोला सेवक एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में काम करेंगे। उनका प्रमुख कार्य इस समुदाय के लोगों को साक्षर होने और शिक्षित बनने के लिये प्रेरित करना, तथा उन्हें सरकार द्वारा चलाये जा रहे साक्षरता, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की योजनाओं से जोड़ना है। इनके कार्यों एवं दायित्वों को निम्नांकित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है:–

(क) (i) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी निर्धारित टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत् या उससे अधिक बनाये रखने के लिये एवं छीजन कम करने के लिये काम करेंगे। इनकी भूमिका सुगमकर्त्ता (Facilitator) एवं प्रेरक (Motivator) की होगी।

(ii) टोले के बच्चों को जमा कर प्रारंभिक तैयारी कराकर प्रतिदिन एक साथ विद्यालय ले जायेंगे। विद्यालय प्रधान से सम्पर्क कर सबों के नामांकन एवं सीखने की व्यवस्था विद्यालय में करायेंगे। चेतना सभा में एवं आरंभ में दो घंटे विद्यालय में रहकर बच्चों को विद्यालय में दी जा रही शिक्षा के साथ जुड़ने में सहयोग करेंगे।

(iii) उपर्युक्त कार्य के लिये सर्वे द्वारा बच्चों की बाल पंजी एवं असाक्षर वयस्क महिलाओं/माताओं की पंजी तैयार करना, विद्यालय में नामांकन कराना, बच्चों को टोला से एक साथ विद्यालय पहुँचाना, कक्षा में बच्चे मुख्यधारा के साथ हों एवं सीखने के लिए तैयार हों इसके लिए कार्य करना, विद्यालय के पूर्व बच्चों के लिये कोचिंग कक्षा का संचालन करना, समय–समय पर बच्चों की काउन्सलिंग करना, विद्यालय के शिक्षकों एवं अभिभावकों से नियमित संपर्क रखना उनके कार्य में शामिल होगा।

(ख) (i) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी अपने टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय आरंभ होने से पहले विद्यालय के लिए तैयार करेंगे, कोच (coach) करेंगे। इसके साथ ही वे 15 से 35 आयु वर्ग की असाक्षर महिलाओं को दोपहर में एक घंटे तक पढ़ाने का एवं बाद में टोलों में सम्पर्क का कार्य भी करेंगे। विद्यालय संचालन के समय में परिवर्त्तन होने पर एवं ग्रीष्मावकाश व लम्बी छुट्टियों में पढ़ाने के समय में परिवर्त्तन आवश्यकतानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा किया जा सकेगा।

(ii) निर्धारित टोले के असाक्षर महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना एवं बच्चों के सीखने की उपलब्धि की जानकारी माताओं को देना इनका दायित्व होगा।

(ग) सरकार की विकास योजनाओं, समाज सुधार के कार्यक्रमों से टोले के लोगों को परिचित कराना एवं जागरूक करना इनका कार्य होगा। टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी अपने–अपने कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, आपदा प्रबंधन आदि विभागों एवं लाभुकों के बीच कड़ी का काम करेंगे। गांव/टोला के प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार के स्तर से दी जानेवाली सुविधाओं की जानकारी देना तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें नियमानुसार सभी व्यक्ति को प्राप्त हो इस हेतु प्रयास करना उनसे अपेक्षित होगा।

(घ) समय–समय पर जन शिक्षा निदेशालय द्वारा आवंटित शिक्षा, साक्षरता, जन जागरण एवं सामाजिक कुरीतियों में सुधार के कार्य उनके द्वारा किए जाएँगे।

चयन की प्रक्रिया

3. रिक्ति का निर्धारण एवं चयन :–

(क) (i) पूरे राज्य के लिए टोला सेवक (20,000) एवं शिक्षा स्वयंसेवियों (10,000) की संख्या निर्धारित है। यह जिलावार आबादी के आधार पर आवंटित की गई है जिसे अनुलग्नक 'क' में दर्शाया गया है। यह संख्या जिले के लिए निर्धारित बल हैं। इस संख्या से अधिक का चयन/नियोजन अवैध होगा। निर्धारित संख्या में भी रिक्ति की कोटि स्वीकृत बल के अनुरूप होगी।

(ii) किस टोले में केन्द्र खोला जाये इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले के सर्वे के आधार पर दलित– महादलित बाहुल्य एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग बाहुल्य टोलों की सूची अधिकतम संख्या से घटते क्रम की

Scanned with OKEN Scanner

ओर प्रखण्डवार तैयार की जाएगी। जिले में उपलब्ध सांख्यिकी एवं अन्य विभागों के संबंधित आँकड़ों से भी इस कार्य में सहयोग लिया जा सकता है। टोलों की संख्या की तुलना में निर्धारित इकाई कम है। अतएव सर्वप्रथम अधिक संख्या वाले टोले में टोला सेवक/स्वयंसेवी का चयन किया जाएगा। यह क्रम अधिक से कम की ओर होगा। सर्व प्रथम चयन का स्थान, चयन की कोटि (टोला सेवक या स्वयंसेवी महिला या पुरूष) निर्धारित किया जाएगा। इस सूची पर जिला पदाधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(iii) 60 वर्ष के उम्र के पूर्व के यदि कार्यरत टोला सेवक/स्वयंसेवी की मृत्यु हो जाती है या पद–मुक्ति या त्याग या अन्य कारणों से रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्तियों पर चयन प्रक्रिया आरंभ करने के पूर्व जिला पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv) यदि रिक्त स्थान पर पूर्व के कार्यरत टोला सेवक/स्वयंसेवी एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं तो यह स्थान आबादी क्रम में दूसरे टोले को देते हुए वहाँ नियोजन किया जायेगा। अर्थात्, जिस स्थान पर पद रिक्त हुआ है वहाँ एक साल की सेवा पूर्व के टोला सेवक/स्वयंसेवी द्वारा किए जाने की स्थिति में रिक्ति उस टोले की नहीं मानी जाएगी। यह रिक्ति प्रखण्ड की होगी एवं जिस टोले में आवश्यकता (महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग की आबादी के आधार पर घटते क्रम में निर्धारित सूची के आधार पर) के बावजूद केन्द्र नहीं दिया जा सका था, वहाँ के लिए इकाई आवंटित करके चयन की कार्रवाई होगी।

(ख) जिलों में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय की जनसंख्या की बहुलता के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप चिन्हित टोले में उसी समुदाय से एक टोला सेवक/शिक्षा सेवी का चयन किया जायेगा। टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा।

4. चयन हेतु योग्यता :–

(क) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। उच्चतर योग्यताधारी को चयन में किसी प्रकार का अतिरिक्ति अधिमानता देय नहीं होगी।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्त अंक के प्रतिशत एवं अनुभव अंक जोड़कर अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा। साक्षरता, शिक्षा या सरकार की किसी योजना में कम से कम छः माह या उससे अधिक समय तक काम करने एवं मानदेय/वेतन/प्रबोधन राशि प्राप्ति प्रमाण के आधार पर मेधा सूची में अतिरिक्त अंक अनुभव के इस प्रकार दिये जायेंगे–

(i) 6 माह से 1 वर्ष कार्य करनेवाले के लिये 5 अंक।

(ii) 1 वर्ष से अधिक के लिये 10 अंक।

(iii) अनुभव के 10 अंक अधिकतम होंगे। मैट्रिक या समकक्ष के प्राप्तांक प्रतिशत में जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी। गैर सरकारी क्षेत्र के कार्य के लिये एवं जिन कार्यों में मानदेय या वेतन या प्रबोधन भुगतान का प्रमाण नहीं होगा, अनुभव अंक देय नहीं होगा।

(ग) आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की होगी। उम्र की गणना नियोजन वर्ष के 01 अगस्त को आधार मानकर की जाएगी।

(घ) आवेदक महादलित, दलित या अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग परिवार से होगा। चिह्नित टोलों में जिस महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा कोटि की बहुलता होगी उसी कोटि के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

(ङ) सभी जिलों में टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी की स्वीकृत संख्या अनुलग्नक 'क' में प्रतिवेदित है। जिस समूह में रिक्ति होगी उसी समूह से चयन द्वारा भरा जाएगा अर्थात् टोला सेवक की रिक्ति होने की स्थिति में टोला सेवक का तथा शिक्षा स्वंयसेवी की रिक्ति होने की स्थिति में शिक्षा स्वयंसेवी का चयन किया जाएगा।

(च) जिस टोला से टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन पत्र (अनुलग्नक 'ख') प्राप्त कर चयन किया जाएगा।

(छ) आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना आवश्यक होगा।

Scanned with OKEN Scanner

5. चयन :–

(क) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का नियोजन अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाएगा। समिति गठन हेतु पहल सदस्य–सह–संयोजक द्वारा किया जायेगा :–

क्र0	पद	ग्रामीण क्षेत्र	सं0
i	अध्यक्ष	संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य	1
ii	सदस्य–सह–संयोजक	संबंधित वार्ड के पोषक विद्यालय या टोला से निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक (एक से अधिक विद्यालय होने के स्थिति में वरीय प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक)	1
iii	चार स्थानीय सदस्य	जिस टोले में चयन होना है वहाँ के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में टोले की आम सभा में संबंधित समुदाय (महादलित/दलित/अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग) के चयनित चार सदस्य जिनमें से दो महिला अनिवार्य रूप से सदस्य के रूप में रहेंगी।	4 (2 महिला अनिवार्य)
iv	सदस्य	संबंधित पंचायत के निर्वाचित अनुसूचित जाति महिला सदस्य	1
v	सदस्य	चयनित होनेवाले टोले की जीविका दीदी (यदि चयन होनेवाले वार्ड में जीविका दीदी नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका द्वारा उसी पंचायत से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा। पंचायत स्तर पर जीविका दीदी उपलब्ध नहीं रहने पर प्रखंड से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।)	1
vi	सदस्य	संबंधित प्रखण्ड के के0आर0पी0	1
		कुल संख्या	9

(ख) निर्धारित/स्वीकृत बल की रिक्ति के विरूद्ध स्थान (टोला) एवं संख्या (50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए निर्धारित करते हुए), का अनुमोदन जिला पदाधिकारी से लेने के पश्चात् नियोजन की कार्रवाई आरंभ होगी। सूचना प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर 21 दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी। इसे कम से कम निम्नांकित 5 सार्वजनिक स्थलों के नोटिस बोर्ड पर अवश्य चिपकाया जायेगा एवं उनके कार्यालय प्रधान को प्रचारार्थ एक प्रति प्राप्त करायी जायेगी:–

(i) प्रखण्ड प्रमुख कार्यालय (ii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय (iii) प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, (iv) जिस पंचायत में चयन किया जाना है उसके सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (v) जिस पंचायत के लिए चयन किया जाना है उसके पंचायत भवन। नियोजन का सम्पूर्ण कार्यक्रम जिले की सरकारी (NIC) वेबसाईट् पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) आवेदन सदस्य–सह–संयोजक (चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक) के पास जमा किया जायेगा। आवेदन प्राप्ति की रसीद आवेदक को दी जाएगी।

(घ) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी चयन में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय की महिला को 50% कोटा अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

(ङ) मेधा अंक की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी एवं इसे प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर प्रकाशित कराया जायेगा एवं आपत्तियों को आमंत्रित किया जायेगा। आपत्तियों के निराकरण के उपरांत ही अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी।

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	कोटि (दलित/महादलित/अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा	महिला/पुरुष	जन्म तिथि	पूर्णांक	मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव अंक	योग (9+10)	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

आपत्ति आमंत्रण हेतु औपबंधिक मेधा सूची (प्रपत्र–ग) प्रकाशन के पश्चात् एक सप्ताह का समय निर्धारित होगा एवं आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिवस से तीन दिनों के भीतर आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशित मेधा सूची अगले कार्य दिवस को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी जिसे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदित करते हुए संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक– घ) में नियोजन पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी।

(च) समान मेधा अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता, समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार चयन किया जाएगा।

(छ) चयनोपरांत सभी टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवियों का पाँच दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके नाम से नियोजन पत्र निर्गत हो किन्तु पाँच दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण में योगदान नहीं किये हों और न ही 5 दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त किये हो, उन्हें अनुपस्थित मानते हुए मेधा सूची के अगले क्रम के अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

(ज) नियोजन हेतु निर्मित पैनल मात्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। किसी ठोस कारण से यदि पैनल से नियोजन नहीं हो पाया तो एक वर्ष बाद नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।

(झ) चयनित अभ्यर्थियों के योगदान के उपरांत संयोजक के द्वारा उनके शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरांत सही पाए जाने पर ही मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध संयोजक द्वारा कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

(ञ) चयन पर दावा/आपत्ति होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों तक प्रथम अपील किया जा सकता है। प्रथम अपील में जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर ऐसे द्वितीय अपील का निष्पादन किया जायेगा।

6. मानदेय :–

(क) प्रत्येक टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को प्रतिमाह रु0 8000.00 (आठ हजार) मात्र मानदेय संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) कार्यालय से भुगतान उनके आधार संबद्ध (Seeded) खाते में ही आर0टी0जी0एस0 या अन्य निर्धारित बैंक की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। मानदेय का भुगतान प्रधानाध्यापक द्वारा के0आर0पी0 को उपलब्ध करायी गयी ऋणात्मक विवरणी (Negative Statement) के आधार पर किया जायेगा। टोला सेवक एवं शिक्षा स्वंयसेवियों की अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक गत माह में अनुपस्थित दिवस की गणना के साथ के0आर0पी0 को विवरणी उपलब्ध करा दी जाएगी एवं के0आर0पी0 द्वारा 10 तारीख तक ऋणात्मक सूची जिला कार्यालय साक्षरता को जमा की जाएगी। ऋणात्मक सूची नहीं देने की स्थिति में टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित मानते हुए मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा। भुगतानोपरांत यदि तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी भी प्रकार का गलत भुगतान हुआ है तो उनके अगले माह के मानदेय से कटौती की जायेगी। दोषपूर्ण विवरणी देने के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक/के0आर0पी0 जवाबदेह होंगे एवं उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत आश्रित को 4.00 लाख रु0 की अनुग्रह राशि एकमुश्त देय होगी। निम्नांकित प्रमाण के साथ निदेशालय को समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर ही अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा :-

(I) चिकित्सक/अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र।

(II) मृत्यु तिथि तक टोला सेवक के पद पर कार्यरत थे, इस आशय का प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।

(III) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता (वंशावली) प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(iv) मृतक एवं आश्रित के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति।

(v) कार्यपालक दंडाधिकारी से कानूनी वारिस संबंधी शपथ-पत्र की मूल प्रति।

(vi) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा निदेशालय को अनुशंसा।

7. टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवक की छुट्टी :-

टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को वर्ष में 12 (बारह) दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। महिलाओं को 90 (नब्बे) दिनों का मातृत्व अवकाश प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यह सुविधा मात्र दो बच्चों तक ही देय होगी। वर्ष में अधिकतम 30 (तीस) दिनों का अवैतनिक अवकाश गंभीर स्वास्थ्य समस्या या अन्य विशेष परिस्थिति में प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा देय होगा। ग्रीष्मावकाश एवं अन्य बड़ी छुट्टियों में विद्यालय पहुँचाने का कार्य स्थगित रहेगा, परन्तु कोचिंग क्लास एवं माताओं को पढ़ाने का कार्य जारी रहेगा। केवल रविवार/उर्दू विद्यालय के लिए शुक्रवार के दिन तथा महत्वपूर्ण पर्व-त्योहारों के दिन (जिसमें टोला के लोग शामिल होते हों) कोचिंग एवं माताओं के शिक्षण का कार्य स्थगित रहेगा।

8. प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण :-

(क) चयनित टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवियों के लिये 05 (पाँच) दिनों का प्रारंभिक प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण का आयोजन किया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात् नियोजन-पत्र का वितरण किया जायेगा। इसके पश्चात् ही केन्द्र पर कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। बिना प्रशिक्षण कार्य करना या लेना अवैध माना जाएगा। विद्यालय में योगदान के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा निर्गत नियोजन-पत्र के साथ-साथ प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) टोला सेवकों/स्वयंसेवकों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व के विकास के लिये समय-समय पर आकलन करते हुए उपचारात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

9. कार्यस्थल/कार्यक्षेत्र में परिवर्तन :-

(i) सम्पूर्ण बिहार में महादलित, दलित, अल्पसंख्यकों के टोले हजारों की संख्या में हैं। परन्तु, इस कार्यक्रम में केन्द्रों की अधिकतम स्वीकृत संख्या 30 हजार (20 हजार टोला सेवकों के लिए एवं 10 हजार शिक्षा स्वयंसेवियों लिए) है। जो कार्य इन्हें टोले में आवंटित हैं वह 2 वर्ष के अधीन भली भाँति पूरा किया जा सकता है। यदि कोई टोला सेवक इसे 2 वर्ष में नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एक वर्ष के समय का विस्तार उसी टोले में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। इसके बाद भी लक्ष्य (80 प्रतिशत) पूरा नहीं होने की स्थिति में उन्हें अयोग्य मानते हुए उनकी सेवा-मुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी इन निर्णयों के लिये टोला के विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रतिवेदन, वार्ड सदस्य के प्रतिवेदन, माताओं की राय, के.आर.पी. के प्रतिवेदन पर स्वयं के तथ्यात्मक निरीक्षण के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेंगे एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को प्रेषित करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) प्राप्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत प्रक्रिया का पालन करते हुए सेवा मुक्ति का आदेश दे सकेंगे।

(ii) एक टोले में टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी 2 वर्षों तक कार्य करेंगे। दो वर्ष से पूर्व दूसरे टोले के लिए स्थल परिवर्तन नहीं होगा। उनसे यह अपेक्षा है कि उस टोले के लिए निर्धारित लक्ष्य को भली-भाँति 2 वर्ष के अन्दर प्राप्त कर लेंगे। अधिकतम तीन वर्ष तक कार्य की अनुमति होगी। कार्यस्थल के पंचायत के अन्दर दूसरे टोले में महादलित/दलित/अतिपिछड़ा अल्पसंख्यकों की आबादी के आधार पर अधिक संख्या वाले टोले में क्रमानुसार उन्हें प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के प्रस्ताव पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा प्रतिनियोजित किया जाएगा। नये प्रतिनियोजन स्थल में उन्हें 2 से 3 वर्ष कार्य करना होगा। इस क्रम में सभी टोला आच्छादित होने पर एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रतिनियोजन दूसरे पंचायत में किया जाएगा। स्थान परिवर्त्तन का निर्णय वर्ष के अप्रैल या मई माह में लिया जाएगा ताकि शैक्षिक वर्ष के आरंभ से कार्य करने का अवसर मिले।

10. नियोजन की अवधि एवं नियोजन समाप्त करने की प्रक्रिया :–

(i) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का नियोजन 60 (साठ) वर्ष की उम्र सीमा तक कार्य किये जाने हेतु किया जायेगा। किसी कारण शरीर से पूरी तरह अक्षम या कार्य करने लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जाँच के पश्चात् उन्हें 60 वर्ष से पूर्व सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

(ii) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे। ये मानदेय पर कार्यरत कार्यक्रम के संविदा कर्मी होंगे।

(iii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा, कारण पृच्छा के बाद, प्रक्रिया का पालन कर मुखर आदेश से टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को निम्नांकित स्थितियों में नियोजन समिति के निर्णयानुसार सेवा–मुक्त किया जा सकेगा :–

(क) 30 दिनों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने पर/आदतन अनुपस्थिति।

(ख) तीन या तीन से अधिक निरीक्षण/अनुश्रवण में यह प्रमाणित होने पर कि टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी कार्य के प्रति पूरी तरह लापरवाह हैं।

(ग) आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या अनैतिक आचरण करने या दलगत राजनीति में शामिल होकर चुनाव लड़ने की घटना प्रमाणित होने पर।

(घ) शराब पीने, शराब बेचने, बाल–विवाह करने, दहेज लेना प्रमाणित होने पर।

(ड़) 30 (तीस) दिन से अधिक बिना सूचना एवं बिना ठोस कारण के अनुपस्थित रहना प्रमाणित होने पर।

(च) समाज–विरोधी या अराजकतावादी गतिविधियों में शामिल होने या कुकृत्य करना प्रमाणित होने पर।

Scanned with OKEN Scanner

(iv) नियोजन समाप्ति के विरूद्ध प्रथम अपील 15 दिनों के अंदर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिवार्य रूप में 15 दिनों के अंदर अपील का निष्पादन करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर जिला पदाधिकारी के समक्ष 15 दिनों के अंदर द्वितीय अपील किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर द्वितीय अपील का निष्पादन करेंगे।

11. इस मार्गदर्शिका के लागू होने से पूर्व के सभी निदेश, जो इससे भिन्न एवं इतर/विरोधी होंगे, निरसित समझे जायेंगे।

12. यह मार्गदर्शिका पूर्व से कार्यरत टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी पर भी लागू होगी।

13. इस मार्गदर्शिका में आवश्यकतानुसार संशोधन प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

***

Scanned with OKEN Scanner

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी नियोजन हेतु आवेदन पत्र

क्रम सं0–

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

निर्धारित जाति बहुलता ....

आरक्षण (महिला) ....

आवेदक द्वारा भरा जाएगा

(जिस पंचायत/वार्ड (शहरी) के लिए आवेदन दिया जा रहा है उसका नाम)

टोला/पंचायत/वार्ड (शहरी) ....

पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. माता का नाम ....
4. जाति प्रमाण–पत्र ....
5. (क) जन्मतिथि — दिन ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐
   (ख) उम्र (दिनांक 01.08.20...... को) — वर्ष ☐☐ माह ☐☐ दिन ☐☐
6. स्थायी निवास
   (क) टोला/गांव/मुहल्ला ....
   (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) ....
   (ग) प्रखण्ड/नगर निकाय ....
   (घ) जिला ...., (च) राज्य ...., (छ) पिन कोड ....
   (ज) आधार सं0..................
   (झ) फोन/मोबाईल नं0 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
7. शैक्षणिक योग्यता

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	कोटि (दलित/महादलित/अल्पसंख्यक पिछड़ादर्ग)	महिला/पुरुष	जन्म तिथि	पूर्णांक	मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव अंक	योग (9+10)	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

घोषणा :– मेरी जानकारी और विश्वास में उपर्युक्त सूचनाएँ सत्य हैं। असत्य पाए जाने पर मेरा चयन रद्द कर मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान–

दिनांक –

आवेदक का पूरा नाम　　　　हस्ताक्षर

नोट– आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज स्वयं अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें– 1. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र 2. आवासीय प्रमाण–पत्र 3. कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र। 4 अनुभव की अवधि में वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र। 5 जाति प्रमाण पत्र।

✂------------------------------------✂------------------------------------✂

टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी नियोजन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती ...., पिता/पति श्री ....
(क) टोला/गांव/मुहल्ला .... (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) ....
(ग) प्रखण्ड/ नगर निकाय .... (घ) जिला .... का आवेदन पत्र टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी के नियोजन हेतु दिनांक .... को प्राप्त किया। इन्होंने पंचायत/वार्ड (शहरी) .... प्रखण्ड/नगर निकाय .... जिला .... के लिए आवेदन दिया है जिसका क्र0 सं0 .... है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

टोला सेवक या शिक्षा स्वयंसेवी चयन : मेधा सूची प्रपत्र
टोला/पंचायत/वार्ड समूह स्तरीय प्रपत्र

प्रखण्डः पंचायतः– टोला/वार्डः – टोले में किस समुदाय की बहुलता है –

क्र0 सं0	आवेदक/आवेदिका का नाम	पिता/पति का नाम	महिला/पुरुष	जन्म तिथि	मैट्रिक या समकक्ष का पूर्णांक (अधिकतम अंक)	प्राप्तांक	अंकों का प्रतिशत	अनुभव के आधार पर अंक	कुल अंक (8+9)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सदस्य–सह–संयोजक सदस्य सदस्य सदस्य अध्यक्ष

अनुलग्नक– ५

कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)..........................।

पता – ....

पत्रांक– .... दिनांक– ....

नियोजन–पत्र

श्री / श्रीमती : ....

पिता / पति का नाम : ....

ग्राम : .... पोस्ट : ....

प्रखण्ड : .... जिला : ....

आपको सूचित किया जाता है कि जन शिक्षा निदेशालय, पटना के पत्रांक– .... दिनांक– .... के आलोक एवं दिनांक .... को प्रकाशित चयन सूची के आधार पर आपका चयन टोला सेवक / शिक्षा स्वयंसेवी के रूप में टोला.................. एवं संबद्ध विद्यालय.................. पंचायत.................. प्रखंड.................. जिला .... में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर मानदेय आधारित नियोजन टोला सेवक / शिक्षा स्वयंसेवी के रूप में किया जाता है :–

1. आप निर्धारित टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। उनकी उपस्थिति 80 प्रतिशत् तक बनाये रखने का कार्य करेंगे तथा बच्चों को वर्ग सापेक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सहयोग करेंगे।
2. निर्धारित टोले के असाक्षर वयस्क महिलाओं को कार्यालक्ष साक्षरता प्रदान करेंगे।
3. सरकार की विकास योजनाओं, समाज सुधार के कार्यक्रमों से टोले के लोगों का परिचय कराते हुए जागरूक करेंगे। आप अपने–अपने कार्य–क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशासन एवं लाभुको के बीच समन्वय करेंगे। समय–समय पर निदेशालय द्वारा आवंटित शिक्षा, साक्षरता एवं जन–जागरण के कार्य करेंगे।
4. आपका नियोजन 60 वर्ष की उम्र सीमा तक कार्य किये जाने हेतु किया गया है। किसी कारण शरीर से पूरी तरह अक्षम या कार्य करने लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जाँच के पश्चात् आपको 60 वर्ष से पूर्व सेवा मुक्त किया जा सकेगा।
5. आप मानदेय पर कार्यरत कार्यक्रम के संविदा कर्मी होंगे। आप का नियोजन सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में किया गया है और आपका मुख्य दायित्व संदर्भित लोगो को शिक्षा एवं साक्षरता की मुख्य धारा में लाना है।
6. आपको निम्नांकित स्थितियों में कारण पृच्छा कर, प्रक्रिया का पालन करते हुये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा सेवा–मुक्त किया जा सकेगा :–
   (क) 30 दिनों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने पर / आदतन अनुपस्थिति। (ख) तीन या तीन से अधिक निरीक्षण / अनुश्रवण में यह प्रमाणित होने पर कि आप कार्य के प्रति पूरी तरह लापरवाह हैं। (ग) आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या अनैतिक आचरण करने या दलगत राजनीति में शामिल होकर चुनाव लड़ने की घटना प्रमाणित होने पर। (घ) शराब पीने, शराब बेचने, बाल विवाह करने एवं दहेज लेना प्रमाणित होने पर। (ङ) 30 (तीस) दिन से अधिक बिना ठोस कारण अनुपस्थित रहना प्रमाणित होने पर। (च) समाज विरोधी या अराजकतावादी गतिविधियों में शामिल होने या कुकृत्य प्रमाणित होने पर।
7. आपने शपथ–पत्र द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन की सहमति दी है।
8. सेवा अवधि में आपको प्रतिमाह 8,000/– (आठ हजार) रु0 मानदेय संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) के कार्यालय से उपस्थिति एवं कार्य के आधार पर दिया जायेगा।
9. आपके द्वारा दी गयी जानकारी / प्रमाण–पत्र असत्य पाये जाने पर आपका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा एवं आपके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी की जायेगी।
10. प्रशिक्षण के पश्चात् आप कार्य हेतु योगदान करेंगे।

स्थान : ....

दिनाक : ....

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
साक्षरता

पटना

अनुलग्नक–

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी का शपथ पत्र

1. मैं ...., पुत्र/पुत्री .... जिला .... प्रखण्ड.. पंचायत/वार्ड .... के टोला ...., संबद्ध विद्यालय........................ में टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी के रुप में ईश्वर/खुदा को साक्षी मानकर यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अपनी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने क्षेत्र के सभी 6–14 आयु के बच्चों को विद्यालय से जोड़कर गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कराऊँगा/कराऊँगी एवं वयस्क महिलाओं को साक्षर बनाऊँगा/बनाऊँगी। दलितों/महादलितों/अल्पसंख्यको पिछड़ा वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार एवं लाभार्थी के बीच समन्वय काम करुँगा/करुँगी।

2. मैं अपने कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी भाई एवं बहनों को एक समान समझूँगा/समझूँगी और जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करुँगा/करुँगी।

3. मैं नशा मुक्ति अभियान को घर–घर तक पहुँचाऊँगा/पहुँचाऊँगी। इसके साथ ही दहेज–प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करूँगा/करूँगी।

3. मै जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना एवं सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरी लगन, निष्ठा एवं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करूँगा/करूँगी एवं निर्धारित टोले के सर्वांगीण विकास में पूर्ण सहयोग दूँगा/दूँगी।

4. संविदा आधारित नियोजन की सभी शर्तें मुझे स्वीकार है।

5. मैं सरकारी सेवा का दावा नही करूँगा/करूँगी।

दिनांक– .... पूरा नाम– ....

स्थान -- .... हस्ताक्षर– ....

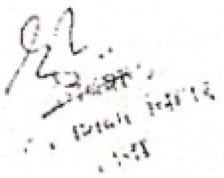

Scanned with OKEN Scanner

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयसेवियों के चयन से संबंधित मेधा प्रतिवेदन

जिला का नाम – ....

प्रखण्ड का नाम – ....

पंचायत का नाम – ....

टोला / वार्ड का नाम – ....

क्र0	आवेदक का नाम	पिता / पति का नाम	पता	मैट्रिक का पूर्णांक	मैट्रिक का प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव का अंक	मेधा अंक	अभ्युक्ति

प्रधानाध्यापक–सह– संयोजक

अध्यक्ष

कार्यालय- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।

शाखा– साक्षरता

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक– 327 दिनांक– 11.04.2025 के आलोक में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत शिक्षा सेवक के चयन हेतु इस जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्ड में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध वार्डवार /टोलावार तथा कोटिवार कुल–179 रिक्त पदों पर चयन हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव निम्न प्रकार है–

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
1	635	ALAMNAGAR	बसनबाड़ा	4	बसनबाड़ा दक्षिण मुसहरी	401	845	1246	1	उत्क्रो० म०वि० बसनवाड़ा	
2	640	ALAMNAGAR	नगर पंचायत आलमनगर	14	पूर्वी मुसहरी	0	1035	1035	1	प्रा०वि० मुसहरी टोला पूर्व	महिला
3	644	ALAMNAGAR	बसनबाड़ा	10	घूघली मंडल टोला	0	976	976	1	उ०म०वि० खुरहानमल	
4	647	ALAMNAGAR	गंगापुर	4	कचहरी टोला	0	852	852	1	प्रा०वि० डोम टोला गंगापुर	महिला
5	654	ALAMNAGAR	किशनपुर रतवारा	16	मुरौत कपसिया	0	719	719	1	मध्य विद्यालय मुरौत	
6	655	ALAMNAGAR	बड़गॉव	8	बड़गॉव	459	252	711	1	मध्य वि० बड़गॉव	महिला
7	661	ALAMNAGAR	नरथुआ भागीपुर	1 एवं 4	बहोरवा आश्रम	0	648	648	1	प्रा०वि० करूआगंज	
8	666	ALAMNAGAR	नगर पंचायत आलमनगर	19	मधैया मुसहरी	0	532	532	1	प्रा०वि० रीतलाल टोला मधैया मुशहरी	महिला
9	667	ALAMNAGAR	किशनपुर रतवारा	13	मुरौत	0	507	507	1	नव०प्रा०वि० भवानीपुर वासा	

236

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
10	761	BIHARIGANJ	शेखपुरा	10	शेखपुरा मुसहरी टोला/सरस्वती स्थान/दीनाभद्री स्थान	0	1568	1568	1	उ0म0वि0 शेखपुरा बालक	महिला
11	764	BIHARIGANJ	शेखपुरा	2	कठौतिया महादलित टोला/राम टोला	0	794	794	1	उ0म0वि0 कठौतिया अ0जा0	
12	768	BIHARIGANJ	बभनगामा	1	मुसहरी टोला	0	659	659	1	नव0प्रा0वि0 मुसहरी टोला	महिला
13	777	BIHARIGANJ	तुलसिया	3	बेसिक स्कूल मुसहरी टोला	0	454	454	1	रा0 बुनियादी वि0 तुलसिया	
14	1193	CHOSA	अरजपुर पंचिमी	12	भटगामा मुसहरी टोला	0	996	996	1	म0वि0 भटगामा	महिला
15	1194	CHOSA	मोरसंडा	9	मोरसंडा	939	0	939	1	उ0 उच्च मा0वि0 मोरसन्डा	
16	1196	CHOSA	लोआलगान पंचिमी	2	तुलसीपुर / सहोरा टोला	474	450	924	1	उ0म0वि0 तुलसीपुर लौआलगान	महिला
17	1199	CHOSA	लोआलगान पंचिमी	5	गूरविदास टोला	0	761	761	1	न0 प्रा0वि0 विनोवा टोला	
18	1096	GAMARHIYA	कौड़िहार तरावे	4	डोम, मुसहर एवं रजक टोला तरावे	0	1065	1065	1	नव0प्रा0वि0 ब्रहमस्थान तरावें	महिला
19	1097	GAMARHIYA	गम्हरिया	5	मुसहरी टोला गम्हरिया	0	750	750	1	नव0प्रा0वि0 मुसहरी टोला गम्हरिया	
20	1098	GAMARHIYA	चिकनी	2	राम टोला फुलकाहा	287	450	737	1	प्रा0वि0 फुलकाहा पश्चिम	महिला

235

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
21	1100	GAMARHIYA	बभनी	3	मुसहरी टोला	0	698	698	1	प्रा0वि0 दाहा मुसहरी	
22	1102	GAMARHIYA	ईटवा जीवछपुर	9	मुसहरी एवं मुस्लिम टोला सिहपुर	0	669	669	1	उ0म0वि0 सिंहपुर	महिला
23	1103	GAMARHIYA	भेलवा	6	मुसहरी टोला घोडमाहा	0	624	624	1	नव0प्रा0वि0 घोरमाहा नवटोलिया	
24	1104	GAMARHIYA	कौड़िहार तरावे	3	राम टोला परवाहा	465	110	575	1	भिखा कन्या मध्य वि0 परवाहा	महिला
25	1106	GAMARHIYA	भेलवा	7	मुसहरी टोला सगहा	0	475	475	1	उ0म0वि0 सगहा	
26	1111	GAMARHIYA	जीवछपुर	2	मुसहरी दयालपुर	0	424	424	1	उ0म0वि0 दयालपुर	महिला
27	1112	GAMARHIYA	जीवछपुर	5	मुस्लिम टोला जीवछपुर	0	418	418	1	नव0प्रा0वि0 नवटोलिया जीवछपुर	
28	1115	GAMARHIYA	औराही एकपरहा	4	पासवान, मंडल मल्लाह टोला	371	0	371	1	प्रा0वि0 गाँधीनगर मल्लाह टोला	महिला
29	1116	GAMARHIYA	गम्हरिया	9	शर्मा टोला गम्हरिया	0	350	350	1	मध्य वि0 गम्हरिया	
30	1118	GAMARHIYA	कौड़िहार तरावे	9	पासवान, राम एवं धोबी टोला टेरही	107	210	317	1	उ0म0वि0 टेरही	महिला
31	1119	GAMARHIYA	जीवछपुर	6	मस्जिद एवं मुसहरी टोला, मुसहरी बाजार टोला	0	290	290	1	प्रा0वि0 जीवछपुर	

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षण कोटि
32	1120	GAMARHIYA	कौड़िहार तरावे	6	पासवान,मुसहर एवं राम टोला तरावे	27	260	287	1	उ0म0वि0 तरावे	महिला
33	1424	GHAILADH	बरदाहा	5	मुसहरी मोहनपुर	0	751	751	1	उ0म0वि0 मोहनपुर शर्माटोला	
34	1425	GHAILADH	बरदाहा	2	गोठ बरदहा	319	379	698	1	उ0उ0मा0वि0 गोठ बरदाहा	महिला
35	1436	GHAILADH	भान टेकठी	2	टेकठी	26	441	467	1	उ0म0वि0 टेकठी	
36	1655	GWALPARA	रेशना	3	रेशना महादलित टोला	0	541	541	1	मध्य वि0 रेशना	महिला
37	1658	GWALPARA	खोखसी शरणपुर	9	गोठ रामगंज दलित महादलित टोला	112	391	503	1	उ0म0वि0 रामगंज	
38	1669	GWALPARA	टेमाभेला	11	कल्याणपट्टी जगतपुर	0	453	453	1	उ0म0वि0 कल्याणपट्टी	महिला
39	1670	GWALPARA	पीरनगर	4	ललिया मुसहरी टोला	0	426	426	1	उ0म0वि0 कन्या ललिया	
40	1672	GWALPARA	शाहपुर	15	भवरा टोला	0	421	421	1	नव0प्रा0वि0 भैवरा टोल	महिला
41	1673	GWALPARA	पीरनगर	13	श्याम महादलित टोलां	77	334	411	1	मध्य वि0 श्याम	
42	1682	GWALPARA	खोखसी शरणपुर	13	अमौना विशनपुर महादलित टोला	0	310	310	1	म0वि0 अमौना विशनपुर	महिला

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
43	1685	GWALPARA	खोखसी शरणपुर	7	पूरबी बाड़ा महादलित टोला	0	288	288	1	म०वि० बाड़ा	
44	1743	GWALPARA	झलाड़ी	2	झलाड़ी राम टोला	0	170	170	1	म०वि० झलाड़ी	महिला
45	1703	GWALPARA	विषवाड़ी	12	विशुनिया टोला झंझरी	0	161	161	1	उर्दू म०वि० झंझरी	
46	1712	GWALPARA	खोखसी शरणपुर	11	अमौना गोढ़ियारी महादलित टोला	1	124	125	1	नव०प्रा०वि० अमौना गोढ़ियारी	महिला
47	1727	GWALPARA	खोखसी शरणपुर	6	पश्चिमी बड़ा पासवान टोला	74	0	74	1	प्रा०वि० बाड़ा पश्चिम टोल	
48	135	KUMARKHAND	मंगरवारा	7	रिशीदेव टोला्सरदार टोला	0	1043	1043	1	उ०उ०मा० वि० सुन्दर नगर हरिजन	महिला
49	137	KUMARKHAND	बैसाढ़	4	ऋषिदेव टोला्राम टोला	0	860	860	1	नव०प्रा०वि० रामटोला बैसाढ़	
50	138	KUMARKHAND	बिशनपुर सुंदर	11	पहारी टोला पथरहा	467	381	848	1	प्रा०वि० पथराहा	महिला
51	140	KUMARKHAND	बिशनपुर बाजार	8	सदानन्द सरदार टोला्मुस्लिम टोला्मुकेश कुमार सरदार टोला्जनार्दन टोला्अरुण सरदार टोला	0	826	826	1	मध्य वि० टिकुलिया	
52	141	KUMARKHAND	परमानंदपुर	1	भगवानपुर वार्ड 01	591	234	825	1	मध्य वि० परमानन्दपुर	महिला
53	143	KUMARKHAND	बेलारी	5	बेलारी गोठ मुशहरी टोला	0	802	802	1	प्रा०वि० बेलारीगोठ	
54	148	KUMARKHAND	लक्ष्मीपुर भगवती	6	हनुमान नगर	0	755	755	1	कन्या ०प्रा०वि० हनुमाननगर	महिला

232

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
55	150	KUMARKHAND	बिशनपुर सुंदर	15	सरदार टोला कुपारी	0	737	737	1	नव0प्रा0वि0 कुपारी	
56	151	KUMARKHAND	लक्ष्मीपुर भगवती	9	लक्ष्मीपुर भगवती	0	737	737	1	स्त्रो0 म0वि0 लक्ष्मीपुर भगवती पूर्व	महिला
57	155	KUMARKHAND	रामनगर महेश	8	खूंटी रही बांतर टोला	232	465	697	1	नव0प्रा0वि0 खुटटीरही	
58	156	KUMARKHAND	पुरैनी	4	राम टोला	0	668	668	1	मध्य वि0 सरहद	महिला
59	161	KUMARKHAND	बैसाढ़	5	ऋषिदेव टोलाए धोबी टोला	157	450	607	1	उ0म0वि0 परमेश्वरी टोला	
60	168	KUMARKHAND	कुमारखंड	5	मुशहरी टोला रामगंज	0	547	547	1	मध्य वि0 रामगंज	महिला
61	179	KUMARKHAND	बैसाढ़	10	ऋषिदेव टोलाएराम टोलाएपासवान टोला	0	444	444	1	मध्य वि0 बैसाढ़	
62	180	KUMARKHAND	लक्ष्मीपुर भगवती	10	लक्ष्मीपुर भगवती	0	441	441	1	उ0म0वि0ल0 भगवती पूर्व	महिला
63	189	KUMARKHAND	मंगरवारा	11	ललकुरिया	0	413	413	1	नव0प्रा0वि0 मंडल टोला ललकुरिया	
64	875	MADHEPURA	शकरपुरा,बेतौना	2	शकरपुरा महादलित टोला	133	961	1094	1	उ0म0वि0 सकरपुरा	महिला
65	876	MADHEPURA	सुखासन	10	दक्षिणबाड़ी महादलित टोला	0	1055	1055	1	उ0म0वि0 सुखासन दक्षिणबाड़ी	

231

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
66	877	MADHEPURA	शकरपुरा.बेतौना	14	बेतौना महादलित टोला	0	965	965	1	स्त्रो0 म0वि0 बेतौना	महिला
67	878	MADHEPURA	भदौल.बुधमा	13	महादलित टोला	0	905	905	1	उ0म0वि0 बुधमा लखराज	
68	879	MADHEPURA	साहुगढ़.१	1	महादलित टोला	0	860	860	1	उ0म0वि0 सिंहपुर	महिला
69	880	MADHEPURA	खोपैती.तुनियाही	7	महादलित टोला	0	845	845	1	उ0म0वि0 मुरबल्ला	
70	881	MADHEPURA	महेशुआ	11	महादलित टोला	797	0	797	1	नव0प्रा0वि0 महेशुआ मुसहरी	महिला
71	882	MADHEPURA	साहुगढ़.२	2	गोविंदपुर पथराहा	0	765	765	1	उ0म0वि0 पथराहा	
72	883	MADHEPURA	भेलवा	2	महादलित टोला सखुआ	0	755	755	1	उ0म0वि0 सखुआ	महिला
73	884	MADHEPURA	मुरहो	10	मुरहो महादलित टोला	0	734	734	1	कमलेश्वरी म0वि0 मुरहो	
74	885	MADHEPURA	मुरहो	4	महादलित टोला	0	727	727	1	म0वि0 पड़रिया	महिला
75	886	MADHEPURA	धुरगाँव	9	गिद्धा टोला	41	672	713	1	उ0म0वि0 धुरगाँव (अ0जा0)	
76	887	MADHEPURA	नगर परिषद्	7	आदर्श नगर मधेपुरा	0	707	707	1	उर्दू प्रा0वि0 वार्ड–03 मधेपुरा	महिला

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
77	888	MADHEPURA	साहुगढ़.प.	6	भातु टोला	0	697	697	1	उ0म0वि0 भातु टोला	
78	890	MADHEPURA	सुखासन	1	उत्तरबाड़ी महादलित टोला	0	671	671	1	न0प्रा0वि0 सुखासन,उत्तरवाड़ी, अ0 जा0 टोला	महिला
79	891	MADHEPURA	धुरगाँव	8	उच्च विधालय महादलित टोला	0	661	661	1	उ0म0वि0 धुरगॉव	
80	892	MADHEPURA	धुरगाँव	12	मैनीरही महादलित टोला	0	639	639	1	नव0प्रा0वि0 मैनीरही	महिला
81	893	MADHEPURA	मठाही	12	नयानगर पिठाही	0	631	631	1	उ0म0वि0 इंदिरा आवास मठाही	
82	894	MADHEPURA	तुलसीबाड़ी.राजपुर. मतिया	8	मतिया महादालित टोला राम टोला लक्ष्मिन्या	0	609	609	1	म0वि0 मलिया	महिला
83	895	MADHEPURA	मानिकपुर	11	महादलित टोला	0	606	606	1	नव0प्रा0वि0 अर्राहा उत्तर अ0जा0	
84	896	MADHEPURA	साहुगढ़.I	10	महादलित टोला	0	579	579	1	प्रा0वि0 इंदरा आवास हुलास टोला	महिला
85	897	MADHEPURA	साहुगढ़.प.	14	गणेश स्थान	0	571	571	1	उ0म0वि0 गणेश स्थान	
86	898	MADHEPURA	धुरगाँव	4	महादलित टोला	6	561	567	1	उ0म0वि0 बखरी	महिला
87	899	MADHEPURA	भदौल.बुधमा	11	महादलित टोला	0	565	565	1	न0प्रा0वि0 बुधमा मुसहरी पश्चिम	
88	900	MADHEPURA	बराही.हसनपुर	4	महादलित टोला	0	558	558	1	उ0म0वि0 मोहनपुर	महिला

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
89	901	MADHEPURA	मधुबन	10	गढ़िया महादलित टोला	0	557	557	1	न0प्रा0वि0 तुरकाही गोठ	
90	903	MADHEPURA	नगर परिषद्	23	पासवान टोला	539	0	539	1	उर्दू प्रा0वि0 भिरखी	महिला
91	904	MADHEPURA	नगर परिषद्	21	मुसहरी टोला पूर्वी/मुसहरी पश्चिमी टोला	0	535	535	1	आदर्श म0 वि0 भिरखी बाजार	
92	905	MADHEPURA	नगर परिषद्	4	रामरहीम रोड/रजक टोला	0	533	533	1	शांति आदर्श म0 वि0 मधेपुरा	महिला
93	906	MADHEPURA	मानिकपुर	5	महादलित टोला	0	530	530	1	नव0प्रा0वि0 मरूआहा पश्चिम	
94	907	MADHEPURA	मानिकपुर	6	महादलित टोला	0	522	522	1	उ0म0वि0 मरूआहा	महिला
95	908	MADHEPURA	भेलवा	6	महादलित टोला सिमराहा	40	447	487	1	उ0म0वि0 सिमराहा	
96	909	MADHEPURA	मदनपुर	12	मैनीरही टपरा	0	481	481	1	कन्या उ0म0वि0 मैनीरही	महिला
97	910	MADHEPURA	भदौल.बुधमा	4	महादलित टोला	0	477	477	1	न0प्रा0वि0 भदोल अ0जा0 टोला	
98	911	MADHEPURA	भदौल.बुधमा	8	महादलित टोला	0	467	467	1	उ0क0म0वि0 बुधमा गोठ	महिला
99	914	MADHEPURA	सुखासन	7	दक्षिणबाड़ी महादलित टोला	0	455	455	1	कन्या प्रा0वि0 सुखासन	

228

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
100	915	MADHEPURA	मुरहो	7	बूढ़ी महादलित टोला	0	451	451	1	उ०क०म०वि० बुढ़ी	महिला
101	916	MADHEPURA	बराही.हसनपुर	9	दुधैला दुसाध टोला	451	0	451	1	उ०क० हरिजन म०वि० दुधैला	
102	918	MADHEPURA	मधुबन	3	गढ़िया महादलित टोला	0	439	439	1	उ०क०म०वि० मधुबन	महिला
103	919	MADHEPURA	नगर परिषद्	13	रहमानगंज	0	435	435	1	उर्दू बालिका काजमी प्रा०वि० मधेपुरा	
104	920	MADHEPURA	तुलसीबाड़ी.राजपुर मलिया	1	राम टोला	0	432	432	1	म०वि० मलिया	महिला
105	923	MADHEPURA	मदनपुर	10	गम्हरिया	189	225	414	1	देवी साह म०वि० जीवछपुर	
106	924	MADHEPURA	तुलसीबाड़ी.राजपुर. मलिया	14	पासवान टोला	200	204	404	1	उ०म०वि० राजपुर हिन्दी	महिला
107	925	MADHEPURA	मुरहो	6	केटावन टोला	0	396	396	1	उ०क०म०वि० नारायणपट्टी	
108	927	MADHEPURA	महेशुआ	13	लक्ष्मिनिया	0	388	388	1	प्रा०वि० लक्ष्मिनिया मुसहरी	महिला
109	929	MADHEPURA	मानिकपुर	2	राम टोला	0	382	382	1	उ०म०वि० मानिकपुर	
110	931	MADHEPURA	धुरगाँव	1	महादलित टोला	0	378	378	1	म०वि० नरसिंहबाग	महिला

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षण कोटि
111	932	MADHEPURA	मठाही	8	पिठाही महादलित टोला	0	378	378	1	उ0म0वि0 दुवियाही	
112	933	MADHEPURA	बालम.गढ़िया	10	महादलित टोला	0	374	374	1	नव0प्रा0वि0 श्रीपुर उत्तरवाड़ी	महिला
113	934	MADHEPURA	बालम.गढ़िया	12	महादलित टोला	0	371	371	1	नव0प्रा0वि0 कन्दाहा मुसहरी	
114	935	MADHEPURA	मुरहो	13	संतनगर भित्ता टोला	0	360	360	1	न0प्रा0वि0 संतनगर	महिला
115	936	MADHEPURA	खोपैती.तुनियाही	14	चाव टोला खोपैती	0	360	360	1	नव0प्रा0वि0 चाव टोला खोपैती	
116	938	MADHEPURA	मदनपुर	15	मदनपुर	320	0	320	1	उ0म0वि0 मदनपुर उत्तर	महिला
117	939	MADHEPURA	साहुगढ़–1	13	राम टोला	0	320	320	1	न0प्रा0वि0 उर्दू दीवानी टोला	
118	423	MURLIGANJ	रघुनाथपुर	2	रतनपट्टी मुसहरी टोला	0	1203	1203	1	नव0प्रा0वि0 रतनपट्टी मुसहरी	महिला
119	432	MURLIGANJ	रजनी	2	प्रतापनगर मुसहरी टोला	156	682	838	1	मध्य विद्यालय प्रतापनगर पूर्व	
120	435	MURLIGANJ	दीनापट्टी–सखुआ	12	मुसहरी गोपाली टोला	736	36	772	1	उ0म0वि0 गोपाली टोला	महिला
121	437	MURLIGANJ	गंगापुर	12	रमणी	698	0	698	1	उ0उच्च माध्यमिक वि0 भलनी	

226

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
122	439	MURLIGANJ	रजनी	4	प्रतापनगर पूर्व	152	539	691	1	उ0उच्च माध्यमिक वि0 रजनी मिलिक	महिला
123	440	MURLIGANJ	हरिपुर काला	10	तिनकोनमा मुसहरी टोला	0	667	667	1	उ0म0वि0 हरिपुर तीनकोनमा	
124	1773	PURAINI	मकदमपुर	11	फेकरारही	0	835	835	1	उ0म0वि0 फेकरारही	महिला
125	1775	PURAINI	कुरसंडी	9	मुसहरीटोला एवं बालाटोल	0	725	725	1	उ0म0वि0 बालाटोल	
126	1777	PURAINI	वंशगोपाल	11	पासवानटोला	164	422	586	1	उ0म0वि0 बघरा	महिला
127	1781	PURAINI	दुर्गापुर	3	दुर्गापुर गोठ बस्ती	468	0	468	1	म0वि0 दुर्गापुर	
128	1505	SHANKARPUR	सोनवर्षा	3	निशिहरपुर बॉतर टोला, पूर्व विधायक टोला	0	1701	1701	1	उ0म0वि0 निशिहरपुर	महिला
129	1506	SHANKARPUR	रामपुरलाही	9	गाढ़ारामपुर, बांतर टोला	0	1690	1690	1	नव0प्रा0वि0 नयानगर बरियाही	
130	1507	SHANKARPUR	रामपुरलाही	10	बरियाही, मुसहर टोला	0	824	824	1	उ0म0वि0 बरियाही	महिला
131	1508	SHANKARPUR	जिरवा मधैली	16	मुसहर टोला मधैली	0	733	733	1	मध्य वि0 मधैली बाजार	
132	1509	SHANKARPUR	रायभीड़	17	बसंतपुर नयानगर मुसहर टोला	0	700	700	1	उ0म0वि0 बसंतपुर दक्षिण	महिला
133	1510	SHANKARPUR	गिद्धा	7	मुसहर टोला बगबियानी	0	695	695	1	उ0म0वि0 बगबियानी	

225

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
134	1513	SHANKARPUR	रामपुरलाही	1	जीतपुर मुसहरी टोला	0	655	655	1	नव0प्रा0वि0 जितापुर मुसहरी	महिला
135	1515	SHANKARPUR	बेहरारी	9	कोल्हुआ मुसहर टोला	0	648	648	1	प्रा0वि0 मुखाय मुसहरी	
136	1516	SHANKARPUR	परसा	3	मुसहर टोला परसा	0	590	590	1	उ0म0 वि0 जीतापुर	महिला
137	1517	SHANKARPUR	रायभीड़	1	मुसहर/चमार टोला अड़ताहा	0	559	559	1	उ0म0वि0 अड़ताहा	
138	1520	SHANKARPUR	रामपुरलाही	4	लाही मुसहर टोला	0	518	518	1	उ0म0वि0 लाही	महिला
139	1521	SHANKARPUR	मौरा कबियाही	5	बॉतर टोला, मौरा	0	467	467	1	उ0म0वि0 नयागॉव मौरा	
140	1523	SHANKARPUR	जिरवा मधैली	10	मुसहर टोला बाली	0	462	462	1	उ0म0वि0 मौरकाही	महिला
141	1524	SHANKARPUR	सोनवर्षा	8	चमार टोला सोनवर्षा	0	458	458	1	नव0प्रा0वि0 नकटडीह सोनवर्षा	
142	1525	SHANKARPUR	रामपुरलाही	6	लाही मुसहर टोला	0	441	441	1	नव0प्रा0वि0 रामपुरलाही	महिला
143	1526	SHANKARPUR	गिद्धा	5	मुसहर टोला हसनपुरा	0	440	440	1	म0वि0 हसनपुरा	
144	1527	SHANKARPUR	मौरा झरकाहा	17	चमार टोला, मौरा झरकाहा	0	432	432	1	उ0म0वि0 झरकाहा भाठी	महिला

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
145	1527	SHANKARPUR	मौरा झरकाहा	17	चमार टोला, मौरा झरकाहा	0	432	432	1	उ०म०वि० झरकाहा भाठी	
146	1528	SHANKARPUR	बेहरारी	3	गुड़ीया बॉतर टोला	0	430	430	1	नव०प्रा०वि० गुहिया टोला	महिला
147	1529	SHANKARPUR	सोनवर्षा	5	भूतपूर्व विधायक गहीर का मुसहर टोला सोनवर्षा	0	425	425	1	नव०प्रा०वि० चम्पावती सोनवर्षा	
148	1530	SHANKARPUR	परसा	5	मुसहर टोला परसा	0	414	414	1	मध्य वि० बथान परसा	महिला
149	1531	SHANKARPUR	परसा	8	चमार टोला करमैनिया	0	403	403	1	नव०प्रा०वि० करमैनियाँ	
150	1533	SHANKARPUR	बेहरारी	1	चाही बॉतर टोला	0	378	378	1	नव०प्रा०वि० बेहरारी प०	महिला
151	1535	SHANKARPUR	बेहरारी	2	डिह बॉतर टोला	0	365	365	1	उ०म०वि० बेहरारी	
152	1537	SHANKARPUR	बेहरारी	13	कोल्हुआ बरेरवा बॉतर टोला	0	350	350	1	नव०प्रा०वि० बरेखा टोला	महिला
153	1539	SHANKARPUR	रायभीड़	11	चौराधार मुसहर टोला	0	349	349	1	नव०प्रा०वि० कोल्हुआ मुसहरी	
154	1543	SHANKARPUR	बेहरारी	7	कोल्हुआ चमार टोला	0	324	324	1	उ०म०वि० कोल्हुआ पश्चिम	महिला
155	1548	SHANKARPUR	मौरा कबियाही	13	मुसहर टोला, परती	0	282	282	1	नव०प्रा०वि० परती टोला	

223

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
156	1549	SHANKARPUR	जिरवा मधैली	4	मुसहर टोला मौजमा	0	272	272	1	उ०म०वि० मौजमा	महिला
157	1550	SHANKARPUR	परसा	9	मुसहर टोला भलुवाहा	0	271	271	1	उ०म०वि० मुलवाही	
158	1553	SHANKARPUR	रायभीड़	13	मुसहर टोला बसंतपुर	0	242	242	1	उ०म०वि० बसंतपुर उत्तर	महिला
159	1	SINGHESHWAR	दुलार पिपराही	2	लतराही मुसहर टोला	0	8470	8470	1	नव०प्रा०वि० दक्षिणवारी टोला	
160	2	SINGHESHWAR	दुलार पिपराही	12	बड़ी दुला मुसहरी+राम टोला	0	1650	1650	1	उ०म०वि० दमहा दुलार पिपराही	महिला
161	4	SINGHESHWAR	जजहट सबैला	10	जजहट राम+धोबी+मुसहर टोला	62	1155	1217	1	नव०प्रा०वि० ऋषिदेव टोला	
162	6	SINGHESHWAR	दुलार पिपराही	10	छोटी दुलार मुसहर टोला	0	1125	1125	1	मध्य वि० दुलार	महिला
163	7	SINGHESHWAR	पटोरी	5	पटोरी ललवा टोला	0	1080	1080	1	नव०प्रा०वि० ललवा टोला पटोरी	
164	8	SINGHESHWAR	पटोरी	8	पटोरी मुसहरी टोला	0	1020	1020	1	उ०म०वि० पटोरी	महिला
165	1280	UDAKISHUNGANJ	बुधमा	11	औराय टोला	0	1282	1282	1	न० प्रा०वि० औराय टोला	
166	1282	UDAKISHUNGANJ	मधुबन	7	मधुबन टोला	0	1099	1099	1	न० प्रा०वि० मधुवन मुसहरी	महिला
167	1283	UDAKISHUNGANJ	खाड़ा	11	सिनवारा	0	1028	1028	1	नव०प्रा०वि० सिनवाड़ा चबयारी	

222

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
168	1284	UDAKISHUNGANJ	रहटा फनहन(नगरपरिषद)	13	उजानी टोला	0	922	922	1	उ०म०वि० उजानी	महिला
169	1288	UDAKISHUNGANJ	बुधमा	2	बसनवाड़ा	0	830	830	1	नव०प्रा०वि० बुधमा मुसहरी	
170	1291	UDAKISHUNGANJ	लश्करी	10	लश्करी मुसहरी टोला	0	707	707	1	उ०म०वि० लश्करी मुसहरी	महिला
171	1292	UDAKISHUNGANJ	बुधमा	3	बसनवाड़ा	0	705	705	1	उ०म०वि० साबुटोला	
172	1295	UDAKISHUNGANJ	नगरपरिषद(लक्ष्मीपुर)	26	लक्ष्मीपुर	574	64	638	1	मध्य वि० लक्ष्मीपुर	महिला
173	1300	UDAKISHUNGANJ	मंजौरा	1	भित्ता टोला कुमारपुर	36	477	513	1	उ०म०वि० कुम्हारपुर	
174	1302	UDAKISHUNGANJ	बीड़ीरणपाल	6	बीड़ीरणपाल	283	208	491	1	नव०प्रा०वि० मुसहरी टोला बीड़ीरणपाल	महिला
175	1303	UDAKISHUNGANJ	शाहजादपुर	4	इटहरी मुसहरी	0	490	490	1	नव०प्रा०वि० इटहरी मुसहरी	
176	1306	UDAKISHUNGANJ	शाहजादपुर	12	ढुठी टोला	447	0	447	1	नव०प्रा०वि० स्मारक चौक	महिला
177	1314	UDAKISHUNGANJ	बुधमा	8	राम टोला	0	370	370	1	उ०म०वि० बैजनाथपुर	
178	1324	UDAKISHUNGANJ	शाहजादपुर	1	कांटे सिंह बासा	0	307	307	1	नव० प्रा०वि० हनुमान स्थान	महिला

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	दलित की संख्या	महादलितों की संख्या	कुल संख्या (6+7)	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	कोटि
179	1327	UDAKISHUNGANJ	बीड़ीरणपाल	3	बीड़ीरणपाल	294	0	294	1	न०प्रा०वि० मठ टोला बीड़ीरणपाल	

22/05/2025
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
साक्षरता, मधेपुरा

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
मधेपुरा

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा

220

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।

शाखा– साक्षरता

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक– 327 दिनांक– 11.04.2025 के आलोक में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत शिक्षा सेवक(तालीमी मरकज) के चयन हेतु इस जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्ड में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध वार्डवार /टोलावार तथा कोटिवार कुल–23 रिक्त पदों पर चयन हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव निम्न प्रकार है–

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	अल्पसंख्यक अतिपिछड़ों की संख्या	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
1	1251	CHOSA	चौसा पूर्वी	7	बद्री टोला अंसारी/बद्री टोला नदाफ/बाकर टोला नदाफ/बाकर टोला अंसारी/बाकर टोला रैन	1172	1	प्रा0वि0 बाकर टोला	
2	1253	CHOSA	रसलपुर धुरिया	6	कुँजड़टोली कलासन /कलासन मुस्लिम टोला	788	1	प्रा0वि0 कलासन	महिला
3	1148	GAMARHIYA	चिकनी	4	मुस्लिम टोला फुलकाहा	560	1	मध्य विद्यालय फुलकाहा	
4	1151	GAMARHIYA	चिकनी	15	राम एवं मुस्लिम टोला जगबनी	366	1	नव0प्रा0वि0 दक्षिणवारी टोला जगवनी	महिला
5	1158	GAMARHIYA	औराही एकपरहा	9	मुस्लिम टोला चन्दनपट्टी	138	1	प्रा0 वि0 चन्दनपट्टी	

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	अल्पसंख्यक अतिपिछड़ों की संख्या	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
6	1486	GHAILADH	झिटकिया	6	लक्ष्मीनियाँ	454	1	उर्दू प्रा0वि0 लक्ष्मीनियाँ	महिला
7	1487	GHAILADH	बरदाहा	11	बरदाहा मुसहरी टोला	441	1	म0वि0 बरदाहा	
8	1488	GHAILADH	बरदाहा	9	बरदाहा मुसहरी टोला	424	1	न0 प्रा0वि0 बरदाहा	महिला
9	1739	GWALPARA	सरौनी कला	12	सरौनी कला मुसलमान टोला	1931	1	उर्दू प्रा0वि0 मुस्लिम टोला सरौनी	
10	1696	GWALPARA	सरौनी कला	8	नदैया टोला मुस्लिम टोला	201	1	नव0प्रा0वि0 पामा नढ़ैला टोला	महिला
11	1748	GWALPARA	विषवाड़ी	11	मुस्लिम टोला झंझरी	150	1	उर्दू म0वि0 झंझरी	
12	1749	GWALPARA	खोखसी शरणपुर	4	खोखसी	114	1	उर्दू म0वि0 खोखसी	महिला

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	अल्पसंख्यक अतिपिछड़ों की संख्या	रिक्त पद	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
13	298	KUMARKHAND	लक्ष्मीपुर भगवती	1	चैनपुर	2401	1	उ0उर्दू मध्य विद्यालय चैनपुर	
14	1035	MADHEPURA	धुरगाँव	5	धुरगाँव	1554	1	उ0म0वि0 धरहर कामत	महिला
15	1038	MADHEPURA	नगर परिषद्	24	मस्जिद टोला	1010	1	उर्दू प्रा0वि0 भिरखी	
16	1040	MADHEPURA	महेशुआ	18	हनुमान नगर	811	1	उर्दू प्रा0वि0 हनुमान नगर चौड़ा	महिला
17	1042	MADHEPURA	नगर परिषद्	11	फरीदावाद	751	1	उर्दू म0वि0 मधेपुरा	
18	1044	MADHEPURA	साहुगढ़–1	15	दीवानी टोला	717	1	म0वि0 साहुगढ़	महिला

617

क्र० सं०	सर्वे सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	टोले का नाम	अल्पसंख्यक अतिपिछड़ों की संख्या	रिक्त पद	सम्वद्ध विद्यालय का नाम	आरक्षित कोटि
19	1042	MADHEPURA	नगर परिषद्	11	फरीदावाद	751	1	उर्दू म0वि0 मधेपुरा	
20	573	MURLIGANJ	जीतापुर	10	गम्हरिया मुस्लिम टोला	1613	1	नव0प्रा0वि0 गम्हरिया, मुस्लिम टोला जीतापुर	महिला
21	1826	PURAINI	वंशगोपाल	4	भटौनी	860	1	नव0प्रा0वि0 भटौनी पश्चिम	
22	1623	SHANKARPUR	सोनवर्षा	11	अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा कुंजरा D.S.P टोला	1175	1	उर्दू प्रा0वि0 D.S.P टोला	महिला
23	1624	SHANKARPUR	मौरा झरकाहा	3	अल्पसंख्यक टोला, इकराहा	1055	1	उर्दू मध्य विद्यालय इकराहा	

22/05/2025
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
साक्षरता, मधेपुरा.
22/5/25

22/05/25
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
मधेपुरा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा

218

Scanned with OKEN Scanner